



सीमा शुल्क के प्रिंसिपल आयुक्त कार्यालय, हवाई अड्डे और एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स आयुक्त कार्यालय,  
मेंज़ीस एविएशन बोम्बा कार्गो टर्मिनल: तृतीय तल, केम्पेगौडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा:

देवनहल्ली, बेंगलुरु - 560 300

OFFICE OF THE PRINCIPAL COMMISSIONER OF CUSTOMS  
AIRPORT & AIR CARGO COMPLEX COMMISSIONERATE:  
MENZIES AVIATION BOBBA CARGO TERMINAL,  
KEMPEGOWDA INTERNATIONAL AIRPORT,  
DEVANAHALLI, BENGALURU-560 300

GEN/ADJ/ADC/23/2020

DIN-20210572MP000000EF67

Passed on 19.05.2021  
Issued on: 19.05.2021

**मूल-आदेश / ORDER-IN-ORIGINAL No. 616 /2021**

(श्री.बालकृष्ण.एस, आई आर एस, सीमा शुल्क के अपर आयुक्त,द्वारा पारित)

Passed by Shri Balakrishna. S, IRS, Additional Commissioner of Customs

**उद्देशिका /Preamble**

1. यह प्रति उस व्यक्ति के व्यक्तिगत उपयोग के लिए निःशुल्क दी जाती है, जिसके लिए जारी की जाती है।

This copy is granted free of cost for the private use of the person to whom it is issued.

2. अगर कोई व्यक्ति इस आदेश से व्यथित हैं तो, वे सीमा शुल्क अधिनियम 1962 (संशोधित) की धारा 128(1) के अधीन, आयुक्त, सीमा शुल्क (अपील्स), केकार्यालय टी. टी. एम. सी., बी. एम. टी. सी. बसस्टैंड, एचएएल, एयरपोर्टरोड, डोम्मलुरु, बेंगलुरु-560009 के समक्ष अपील दायर कर सकते हैं।

Under Sec. 128(1) of the Customs Act, 1962 (as amended), any person aggrieved by this order can prefer an appeal within sixty days to the Commissioner of Customs (Appeals), TTMC, BMTC Bus Stand, HAL Airport Road, Dommalur, Bengaluru-560 071.

3. सीमा शुल्क (अपील्स) नियम, 1982 के खंड II के नियम 3(1) के तहत, विनिर्दिष्ट प्रपत्र सी.ए.1 में, इस आदेश की प्राप्ति के 60 दिनों के अंदर अपील दायर करना चाहिए।

Appeal must be filed in the prescribed CA-1 as required vide Rule 3 (1) of Chapter II of the Customs (Appeals) Rules, 1982, within 60 days from the date of communication of the Order.

4. सी.ए. 1 के अपील प्रपत्र, जिसके साथ तथ्यों की विवरणी और अपील के आधार हैं, दृष्टिगत में दायर करनी चाहिए और आदेश या निर्णय जिसके विरुद्ध अपील दायर की जा रही है उसकी प्रति संलग्नित होनी चाहिए, जिस पर रु.2/- न्यायालय शुल्क लगाना चाहिए।

The form of appeal in form CA-1 including the statement of facts and the Grounds of Appeal, should be filed in duplicate and should be accompanied by a copy of the decision or Order appealed against bearing a Court fee of Rs. 2/-.

5. सीमा शुल्क (अपील्स), 1982 के खंड IV के नियम 9 के अधीन, अगर अपील पर प्राधिकृत प्रतिनिधि द्वारा हस्ताक्षर किया जाता है, तो अपील के साथ, अपीलेंट के प्रतिनिधि को उनकी तरफ से हस्ताक्षर करने के लिए और उपस्थित होने के लिए, प्राधिकृत करने वाले दस्तावेज संलग्नित होना चाहिए।

The documents authorising the representative to sign and appear on behalf of the appellant, if the appeal is signed by as authorised representative specified under Rule 9 of Chapter IV of the Customs (Appeals) Rules, 1982, should accompany the appeal.

6. आयुक्त (अपील्स) के आगे मांगी गई शुल्क के 7.5 प्रतिशत भुगतान करने से आदेश के विरुद्ध अपील दायर की जा सकती है जहां शुल्क और शस्ति दोनों विवाद में हो या शस्ति जहां केवल शस्ति भाग विवाद में हों।

An appeal against this order shall lie before the Commissioner (Appeal) on payment of 7.5% of the duty demanded where duty is in dispute or duty and penalty are in dispute or penalty, are in dispute or penalty, where penalty alone is in dispute.

